भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

लोक सभा

<u>अतारांकित प्रश्न संख्या: 1841</u>

<u>मंगलवार, 11 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए</u>

संपार्श्विक प्रतिभूति-मुक्त ऋण स्टार्टअप योजना

1841. श्री प्रदीप पुरोहितः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नए उद्यमियों के लिए विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत संपार्श्विक प्रतिभूति-मुक्त ऋण स्टार्टअप योजनाएं शुरू की हैं और यदि हां, तो इन योजनाओं के लिए विशिष्ट पात्रता मानदंड क्या हैं;

(ख) ओडिशा के झारसुगुड़ा और बारगढ़ जिलों में इन स्टार्टअप ऋण योजनाओं के लाभार्थियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) गत पांच वर्षों के दौरान ओडिशा राज्य में और उक्त जिलों में स्टार्टअप योजनाओं के अंतर्गत सरकार द्वारा प्रदान किए गए ऋण की कुल राशि कितनी है; और

(घ) क्या सरकार के पास ओडिशा में, विशेष रूप से झारसुगुड़ा और बारगढ़ जैसे कम विकसित जिलों में स्टार्टअप के लिए संपार्श्विक प्रतिभूति-मुक्त ऋण योजनाओं के दायरे का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (घ): सरकार ने नवप्रयोग और स्टार्टअप को बढ़ावा देने तथा ओडिशा सहित देश के स्टार्टअप ईकोसिस्टम में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए एक मजबूत ईकोसिस्टम बनाने के उद्देश्य से 16 जनवरी, 2016 को स्टार्टअप इंडिया पहल की शुरुआत की।

स्टार्टअप्स को बंधक मुक्त ऋण प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए बैंकों सहित वित्तीय संस्थानों को उचित जोखिम कवर और सुविधा प्रदान करने के लिए,

सरकार स्टार्टअप के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम (सीजीएसएस) कार्यान्वित कर रही है। यह स्कीम ओडिशा राज्य सहित पूरे भारत में कार्यान्वित की गई है।

सीजीएसएस का उद्देश्य, पात्र वित्तीय संस्थानों जैसे अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों (एआईएफआई), गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा पंजीकृत वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) के माध्यम से स्टार्टअप्स को बंधक-रहित ऋण उपलब्ध कराना है, ताकि पात्र ऋण प्राप्तकर्ताओं अर्थात् डीपीआईआईटी द्वारा 'स्टार्टअप्स' के रूप में मान्यताप्राप्त कंपनियों की सहायता की जा सके। सीजीएसएस राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी न्यास कंपनी (एनसीजीटीसी) लिमिटेड द्वारा संचालित है।

सीजीएसएस के तहत पात्रता मानदंडों का विवरण इस स्कीम के लिए संचालन दिशा-निर्देशों में दिया गया है, जो निम्नलिखित लिंक पर ऑनलाइन उपलब्ध है: https://www.ncgtc.in/en/product-details/CGSS/Credit-Guarantee-Scheme-for-Start- ups-(CGSS)। यह स्कीम 1 अप्रैल 2023 से संचालित की गई है और 31 जनवरी 2025 की स्थिति के अनुसार, ओडिशा सहित देशभर में स्टार्टअप ऋण प्राप्तकर्ताओं के लिए 607.56 करोड़ रुपए की राशि के 263 ऋणों की गारंटी दी गई है।

*****